संख्या: 30/2017/312/छप्पन-2017-42/2008 टी0सी0-1

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2017

विषय: जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः400/ए0एस0-19-84/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 एवं अनुवर्ती पत्र संख्याः742/ए0एस0-19-84/2017, दिनांक 03 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-11/2016/1452/छप्पन-2015-42/2008 टी0सी0-1/2016, दिनांक 01 फरवरी, 2016 के द्वारा मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा गठित आगणन (टर्मिनल बिल्डिंग को छोड़कर) रूपये 19941.83 लाख (रूपये एक अरब निन्यानबे करोड़ इकतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 80.00 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र दिनांक 03 मार्च, 2017 में अवगत कराया गया है कि स्वीकृत धनराशि रूपये 80.00 करोड़ के सापेक्ष रूपये 69.10 करोड़ (86 प्रतिशत) की धनराशि का व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत परियोजना हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रूपये 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में श्री राज्यपाल रूपये 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि समर्पित नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या-11/2016/1452/छप्पन-2015-42/2008 टी0सी0-1/2016, दिनांक 01 फरवरी, 2016 के प्रस्तर-3 में विहित शर्तों के अधीन है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-38 के लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन -24- वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नागरिक उड्डयन विभाग के स्तर से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्याः 30/2017/312(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/जिलाधिकारी, कुशीनगर।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, कुशीनगर।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी, बजट।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।